भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 165

शुक्रवार 12 फरवरी, 2021 को उत्तर देने के लिए

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति

*165. **श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि &

(क) क्या सरकार का 'वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व' संबंधी नीति आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा इस नीति के माध्यम से हासिल किये जाने वाले इच्छित उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डा. हर्ष वर्धन)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

" वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 12.2.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत ताराकित प्रश्न सं. 165 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लखित विवरण

(**क**) से (**घ**): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विज्ञान की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का मसौदा तैयार किया है। विज्ञान की सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर) नीति के मसौदे में विज्ञान और समाज के संबंधों को मजबूत करते हुए स्वैच्छिक आधार पर वैज्ञानिक समुदाय की अव्यक्त क्षमता का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है कि जिससे एसएंडटी पारिस्थितिकी सामाजिक जरूरतों के प्रति अभिक्रियाशील बन सकती है। इसमें मुख्य रूप से विज्ञान-समाज, विज्ञान-विज्ञान और समाज-विज्ञान के अंतरालों को पाटना शामिल है, जिससे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान का विश्वास, साझेदारी और जिम्मेदारी उत्पन्न हो सकते हैं।

नीतिगत मसौदे में प्रयोगशालाओं, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जैसे विभिन्न हितधारकों और उनके ज्ञान क्रर्मियों, विज्ञान केंद्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उनके विभागों और संबद्ध स्वायत्त एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से देश में कार्यान्वयन का उपबंध है ।

एसएसआर की कुछ गतिविधियों में स्कूलों और कॉलेजों में वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान देना, मीडिया में लोकप्रिय लेख लिखना, बुनियादी ढांचे और ज्ञान संसाधनों को साझा करना, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का जागरूकता निर्माण द्वारा सशक्तिकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल विकास, समाधान और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन आदि शामिल हैं ।

एसएसआर गतिविधि के लाभार्थियों में कोई भी समुदाय, समूह, संस्था या व्यष्टि जैसे छात्र, शिक्षक, महिला समूह हैं; किसान; स्वयं सहायता समूह; स्वरोजगार व्यक्ति; अनौपचारिक क्षेत्रक उद्यम; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); स्टार्टअप; गैर-सरकारी संगठन आदि शामिल हैं ।

इस नीति के मसौदे का समन्वय जिला स्तर पर ऐंकर वैज्ञानिक संस्थानों (एएसआई), राज्य स्तर पर राज्य एसएंडटी परिषदों (एसएस एंड टीसीएस) और राष्ट्रीय स्तर पर डीएसटी की कार्यक्रम निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा किया जाएगा । राष्ट्रीय पोर्टल हितधारकों और समाज सहित समन्वयन एजेंसियों को जोड़ने और देश में एसएसआर गतिविधियों और परिणामों की रिपोर्टिंग का मंच होगा।

नीति के मसौदे में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव शामिल नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के एसएसआर कार्यान्वयनकर्ता आंतरिक बजटीय सहायता और जनशक्ति संसाधनों के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किए जाने वाले अपने समग्र एसएसआर उद्देश्यों के आधार पर अपनी अपनी निजी कार्य योजना तैयार करेंगे । इस उद्देश्य के लिए, एसएसआर गतिविधियों के लिए प्रत्येक अनुसंधान अनुदान में सीमित अनुदान नियत किया जाना है।

नीति के मसौदे में सामाजिक समस्याओं खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए वैज्ञानिक तथा नवोन्मेषी समाधान लाने, तथा सरकार की नई पहलों जैसे- मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया पर, भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए समावेशी उत्थान और सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने में जोर देने की क्षमता है।

*****